न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 02/2020

प्रार्थीगण

(1) श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री जवान सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

(2) श्री भंवर सिंह पुत्र श्री जवान सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) श्री बाबूसिंह पुत्र श्री जवान सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

(2) श्रीमती मंजू पत्नी श्री रतनसिंह, जाति– राजपुरोहित, निवासी– अरिहन्त नगर, पॉवर हाउस के सामने, जवाई बांध रोड, सुमेरपुर, जिला– पाली

(3) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, अप्रार्थी संख्याः 1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 27 अक्टूम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित एवं अप्रार्थी संख्या– 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक अपील इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। यह कि नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा संख्या 793/1 के 4 बीघा का 4/45 हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में पारित आलोच्य नामान्तरकरण आदेश अथवा उसके सन्दर्भित किसी भी कार्यवाही [illegible] की कभी भी जानकारी नहीं रही हैं, तथा न ही उक्त नामान्तरकरण व [illegible] करने के आदेश बाद रेकर्ड अथवा नामान्तरण या उससे सम्बन्धित [illegible] की कभी भी जानकारी रही [illegible] दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हैं। उपरोक्त कार्यवाही अथवा आदेश जारी करने से पूर्व न तो प्रार्थीगण को कभी भी सुनवाई का अवसर दिया गया, तथा न ही कभी भी प्रार्थीगण को उपरोक्त इन्द्राजात अथवा नामान्तरण से संबंधित कार्यवाही अथवा कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम की जानकारी रही हैं। प्रार्थीगण प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति थे, जिन्हें सुना जाना व उन्हें जानकारी होना तथा प्रार्थीगण के कानूनी अधिमानी अधिकार होने के कारण उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था. परन्तु प्रार्थीगण की जानकारी बगैर कार्यवाही से अनभिज्ञ रहने के कारण प्रार्थीगण को उपरोक्त कार्यवाही व आदेश की जानकारी होना असंभव था। नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया हैं, एवं न ही नामान्तरण के संबंध में कोई जांच की गई है, जिससे उपरोक्त प्रकरण एवं आलोच्य आदेश की प्रार्थीगण को पूर्ण जागरूक होने पर भी जानकारी होना संभव नहीं था, एवं उपरोक्त आदेश से जानकारी नहीं रखने तथा आलोच्य आदेश के विरूद्ध निरस्त की कार्यवाही करने हेतु देरी के लिये प्रार्थी की कभी भी कोई बदनियति अथवा लापरवाही नहीं रही हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या–2 के पति द्वारा दीवानी वाद के बाद वादग्रस्त भूमि को नामान्तरकरण भरवाकर बारो–बार बेचान करने के लिये ग्राहकों, एवं भू माफियाओं से सम्पर्क करने पर प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से मिलकर दस्तावेज की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को उपरोक्त आलोच्य नामान्तरण आदेश की प्रथम बार जानकरी हुई है। यह कि नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 18.09.2019 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुति के लिये जानकारी होते ही प्रार्थीगण द्वारा नकल दिनांक 13.12.2019 को प्राप्त की, जिससे उक्त दिनांक की तारीख से समयावधि मानकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को कन्डोन किया जाना आवश्यक हैं। यह कि प्रार्थीगण द्वारा आलोच्य नामान्तरण आदेश दिनांक 18.09.2019 को अपास्त किये जाने हेतु अपील देरी से प्रस्तुत करने में उनकी कोई लापरवाही अथवा बदनियति नहीं रही हैं, एवं ऐसी सद्भाविक देरी को कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRD 1991 Page 218 Jagdish & ors. V/s Phoolchand & ors. में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी शून्य, अवैधानिक व बिना क्षेत्राधिकार के पारित आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। प्रार्थी अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकृत होने की जानकारी होने पर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जावे एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित कथनों एवं विधिक दृष्टान्त RJT 2017(1) Page 362&365 व RRT 2022(2) Page 1410&1414 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 को निरस्त कराने हेतु अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की है। यह कि ग्राम अरठवाड़ा के खसरा नंबर 793/1 के 4 बीघा का 4/45 वां हक हिस्से का बेचान नामान्तकरण संख्या 3358 स्वीकृत आदेश दिनांक 18.09.2019 की प्रार्थीगण को जानकारी नही होने का कथन सर्वथा गलत है। प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की तारीख से ही जानकारी रही है। प्रार्थीगण ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 को निरस्त कराने हेतु अपील दिनांक 17.09.2020 को पेश की है जो अतिशय

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

विलम्ब से पेश की है। प्रार्थीगण ने कथन किया है कि उपरोक्त नामान्तरकरण से संबंधित प्रकरण की किसी भी कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नही रही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को कब व किससे उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी हुई यह प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में नामान्तरकरण कार्यवाही व आदेश की जानकारी होना असंभव बताया है ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.12.2019 को नामान्तरकरण दायरा के करीब 2 माह बाद नकल मंगवाई व दिनांक 07.1.2020 को अपील दायर करने का कथन सर्वथा गलत, भ्रामक एवं अविधिक है। प्रार्थीगण ने नामान्तकरण के विरूद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई उचित एवं युक्तियुक्त कारण नही दर्शाया है तथा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई सद्भाविक कारण भी नही बताया है। यह कि वादग्रस्त बेचान भूमि का नामान्तरकरण की प्रार्थीगण को कब प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई, इसके संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नही किया है। प्रार्थीगण कुल कितने दिवस का विलम्ब माफ करवाना चाहते है, यह भी प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अंकित नहीं किया है। प्रार्थीगण की अपील प्रस्तुत करने हुई देरी सद्भाविक नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.12.2019 को प्रश्नगत नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के के बाद दिनांक 07.1.2020 से अपील देरी से कैसे प्रस्तुत की तथा दिनांक 13.12.2019 से 06.1.2020 के मध्य का प्रार्थीगण ने विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नही दर्शाया है, मात्र प्रार्थीगण ने जानकारी से 30 दिवस में अपील पेश करने का कथन किया है, जो सर्वथा गलत एवं अविधिक है। प्रार्थीगण ने आलोच्य नामान्तरकरण की अपील पेश करने के विलम्ब का कोई प्रमाणिक एवं ठोस सद्भाविक कारण नही दर्शाया है। प्रार्थीगण ने बदनियतिपूर्ण तरीके से मनगन्ढ़त एवं अस्पष्ट कारण दर्शाकर विलम्ब कन्डोन का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उचित आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया जाना है।

(4)　उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा संख्या 793/1 रकबा 45 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से अप्रार्थी संख्या–1 (बाबूसिंह) द्वारा स्वयं के हिस्से की कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या–2 (श्रीमती मंजू) को बेचान की भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, अरठवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (श्रीमती मंजू) के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 3358 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 18.9.2019 को स्वीकृत किया गया है। नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधियिम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत यह प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में यह कारण अंकित किया है कि "नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (मंजू) के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 के दायर होने व स्वीकृत होने की प्रार्थीगण को प्रारम्भ से जानकारी नही रही है कि उक्त नामान्तरकरण की किसी भी कार्यवाही के बारे में प्रार्थीगण को सूचना तक नही दिया गया है।" प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा पारित

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नामान्तरकरण आदेश दिनांक 18.9.2019 की जानकारी होते ही प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.9.2019 को नकल प्राप्त की है एवं उक्त तिथि से समयावधि में अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण को नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 की प्रारम्भ से ही जानकारी रही हो। प्रार्थीगण ने नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 07.1.2020 को अपील प्रस्तुत की है, जो प्रार्थीगण के कथनानुसार जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में प्रस्तुत की गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा हो या कोई कपट संधि या दुर्व्यपदेशन हुआ है, तो ऐसे आदेशों के मामलों में परिसीमा अवधि लागू नही होती है। ऐसी स्थिति में, अपील पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना ही हमारे विनम्र मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:58 IST
Reason: SelfAttested